सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-4665/JH/59/2025-RU-IV

दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
समाहरणालय भवन, प्रधान डाकघर के पास,,
जिला-धनबाद, झारखण्ड,
झारखंड 826001
Email Id: dc-dha@nic.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
धनबाद, झारखंड 826001
Email Id: sp-dhanbad@jhpolice.gov.in

विषय:

अनुसूचित जनजाति की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा तथा उस पर निर्माण कार्य करने के संबंध में – श्रीमती सीता देवी, पत्नी श्री गोपाल हांसदा, साः कश्माटांड, कुम्हार बस्ती, थानाः बलियापुर, जिला-धनबाद (झारखंड़) का दिनांक 24.01.2025 का पत्र/अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण 19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री गोपाल हंसदा,
सा. करमाटांड़, कुम्हार बस्ती,
थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद (झारखंड),
पिनकोड-82820,
Mobile No: 9430374563

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-4665/JH/59/2025-RU-IV

अनुसूचित जनजाति की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा एवं उस पर निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में – श्रीमती सीता देवी, पत्नी श्री गोपाल हांसदा, साः कश्माटांड, कुम्हार बस्ती, थाना–बलियापुर, जिला–धनबाद (झारखण्ड) के मामले में दिनांक 03.06.2026 को सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 03.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

श्रीमती सीता देवी (पति– श्री गोपाल हांसदा), निवासी कुम्हार टोला, करमाटाँड, थाना–बलियापुर, जिला–धनबाद (झारखण्ड), का अभ्यावेदन दिनांक 24 जनवरी, 2025 को आयोग में प्राप्त हुआ है। अपने अभ्यावेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि 08 नवंबर 1946 को जमींदार रानी हेम कुमारी (पति: राजा दुर्गा प्रसाद सिंह) द्वारा मौजा करमाटाँड में स्थित कुल 7.01 एकड़ रैयती भूमि (खाता संख्या 84, प्लॉट संख्या 680 रकबा – 4.21 एकड़ , 680/2261रकबा -96 डिसमल और 680/2264 रकबा 1.82 एकड़) एक चिरस्थायी रैयती पट्टे के माध्यम से शिकायतकर्ता के ससुर स्व. मंगल मांझी सहित 11 मांझी (आदिवासी) परिवारों और 14 कुम्हार परिवारों को बंदोबस्त की गई थी। इस जमीन पर शिकायतकर्ता का पुराना कच्चा घर था। बाद में घर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वे वहां से करीब 500 मीटर दूर कुम्हार बस्ती में रहने चले गए एंव समस्या तब शुरू हुई जब वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ प्रभावशाली स्थानीय निवासियों—जिनमें दीपक मोदक, राजू मोदक, कामदेव दान, नागेन मोदक और हीरामनी देवी शामिल हैं—ने कोलकाता से वर्ष 1994 के एक कथित झूठे दस्तावेज (दलील) के आधार पर इस आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने थाने में इसकी शिकायत की, तो केवल धारा 107 और 144 के तहत निवारक कार्रवाई की गई। इसके बावजूद, 10 जुलाई 2018 को जब शिकायतकर्ता अपनी जमीन देखने गईं, तो विपक्षी दल वहां गुमटी लगाकर अवैध मकान का निर्माण कार्य शुरू कर चुके थे। विरोध करने पर आरोपियों ने

शिकायतकर्ता, उनके पति और पुत्र को 'आदिवासी संथाली' कहकर जातिसूचक गालियां दीं, उनके साथ मारपीट की और कथित तौर पर उन्हें ही एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कृत्य न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है। इस घटना के कारण उनका पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना और भय के माहौल में जीने को मजबूर है। अतः उन्होंने आयोग से अनुरोध किया गया है कि इस मामले की तत्काल जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए, तथा उनकी पैतृक भूमि वापस दिलाकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों की अवधि के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. आयोग के नोटिस के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद द्वारा दिनांक 16/05/2025 को पत्र संख्या 1681/सा.शा. के माध्यम से आयोग को उत्तर प्रेषित किया गया तथा पूर्व में दिनांक 06/05/2025 को पत्र संख्या 1539/सा.शा. द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय , रांची को भी प्रतिवेदन भेजा गया था। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मामले की जांच उप-समंडल पुलिस अधिकारी (SDPO), सिंदरी से करायी गयी तथा थाना प्रभारी, बलियापुर द्वारा मौके पर विस्तृत स्थलीय जांच की गई तथा पत्र दिनांक 29/04/2025 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं उनके पति द्वारा बताया गया कि वर्ष 1946 में कर्माटांड़ मौजा की 7.01 एकड़ भूमि 11 माझी एवं 14 कुम्हार परिवारों में वितरित हुई थी तथा उन्हें लगभग 16 डेसिमल भूमि प्राप्त होने का दावा किया गया, जिस पर उनके स्व. ससुर मंगाल माझी द्वारा कच्चा मकान बनाकर निवास किया गया था। किन्तु जांच में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा भूमि संबंधी किसी भी प्रकार के दस्तावेज, खाता, प्लॉट अथवा रकवा संख्या प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उन्हें स्वयं भी इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। स्थानीय ग्रामीणों राजेन्द्र किस्कू एवं मनोहर किस्कू के अनुसार उक्त भूमि पर मंगाल माझी के घर होने की केवल सुनी-सुनाई बातें ही ज्ञात हैं, जबकि वास्तविक रूप से उनका घर वहां देखा नहीं गया। ग्रामीणों के अनुसार यह भूमि वर्ष 1994 में हरिपदा कुम्भकार द्वारा दीपक मोदी एवं कमलेश दान के पक्ष में विधिवत रूप से विक्रय की गई थी। संबंधित आरोपित व्यक्तियों ने भी अपने कथन में स्पष्ट किया कि भूमि उनके पूर्वजों द्वारा वैध रूप से खरीदी गई है एवं कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। साथ ही उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह विवाद पूर्व में भी न्यायालय में विचाराधीन रहा है, जिसमें धनबाद जिला न्यायालय (C.P. No. 3238/2016) तथा माननीय उच्च न्यायालय (Cr.M.P. No. 2646/2017) द्वारा इसे खारिज किया जा चुका है। अतः एसडीपीओ सिंदरी एवं थाना बलियापुर की जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिकायतकर्ता के पास भूमि स्वामित्व या अधिकार का कोई दस्तावेजी एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि भूमि का 1994 से वैध विक्रय इतिहास स्थापित है।

4. मामले में दिनांक 03.06.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद (झारखंड) को सिटिंग नोटिस जारी किया गया | अभ्यावेदिका को भी इसकी सूचना दी गई |

5. सुनवाई में पुलिस अधीक्षक(शहर), धनबाद व् DPRO धनबाद उपस्थित रहे एंव प्रार्थीनि भी उपस्थित रही

6. सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि आयोग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में मामले की जांच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन से कराई गई। जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता श्रीमती सीता देवी, पति श्री गोपाल हांसदा, निवासी कुम्हार टोला, करमाटांड़, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद द्वारा दावा की गई भूमि मौजा करमाटांड़ से संबंधित है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि गत सर्वे खाता संख्या-84 एवं विभिन्न प्लॉटों में दर्ज है, जो गत एवं हाल सर्वे अभिलेखों के अनुसार गैर आबाद/अनाबाद भूमि है तथा उसका स्वामित्व बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के एक भाग पर वर्तमान में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, करमाटांड़ संचालित है। अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि का अधिकांश भाग हाल सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम दर्ज है तथा शिकायतकर्ता के स्वामित्व अथवा वैध अधिकार का कोई अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित भूमि पर किया गया दावा उचित एवं प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

6. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. प्राप्त प्रतिवेदन, राजस्व अभिलेखों तथा उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से शिकायतकर्ता के दावे की पुष्टि नहीं होती है। अतः आयोग की ओर से किसी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।

12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi